संख्या-40/2018/61/पॉच-6-18-6(उपकरण)/16

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक : 24 फरवरी, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में चिकित्सालयों में अनुदान संख्या-32 में उपकरण मद में केन्द्रीय औषधि भण्डार स्तर पर आवंटित धनराशियों को पी0एल0ए0 में रखने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8फ/लेखा/2016/1643, दिनांक 28.11.16 तथा शासनादेश संख्या-120/2016/846/पॉच-6-16-6(उपकरण)/16, दिनांक 31.03.2016, शासनादेश संख्या-206/2016/1490/पॉच-6-16-6(उपकरण)/16, दिनांक 21.07.2016, शासनादेश संख्या-268/2016/2182/पॉच-6-16-6(उपकरण)/16, दिनांक 28.10.2016, शासनादेश संख्या-14/2016/2966/पॉच-6-16-6(उपकरण)/16, दिनांक 03.01.2017 व शासनादेश संख्या-111/2017/1311/पॉच-6-17-6(उपकरण)/16, दिनांक 16.08.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2016, 21.07.2016, 28.10.16, 03.01.2017 व 16.08.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में चिकित्सालयों में अनुदान संख्या-32 में उपकरण मद में स्वीकृत की गयी कुल धनराशि में से केन्द्रीय औषधि भण्डार स्तर पर आवंटित धनराशि रू0-146,41,26,568.00 (रूपया एक अरब छियालिस करोड़ इक्तालिस लाख छब्बीस हजार पॉच सौ अड़सठ मात्र) को कोषागार से आहरित करके वित्त अधिकारी किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के नाम से खुले पी0एल0ए0 खाता सं0-**8448-स्थानीय निधियों की जमा-00-110-शिक्षा निधियॉ** में दिनांक 31.03.17 तक रखने की अनुमति प्रदान की गयी थी तथा विभिन्न सुसंगत शासनादेशों द्वारा उक्त के सापेक्ष कुल धनराशि रू0-1,37,63,63,349.00 के आहरण की अनुमति प्रदान की गयी है तथा वर्तमान में कुल धनराशि रू0-8,77,63,219.00 पी0एल0ए0 में अवशेष है।

2- इस संबंध में आपके पत्रांक-8फ/लेखा/2017/526, दिनांक 29.12.2017 में किये गये अनुरोधानुसार उक्त धनराशि रू0-8,77,63,219.00 (रूपया आठ करोड़ सतहत्तर लाख तिरसठ हजार दो सौ उन्नीस मात्र) को पी0एल0ए0 में रखे जाने की अवधि दिनांक 31.03.2018 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2018 तक अन्तिम बार बढ़ायी जा रही है।
2. पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन/मद पर किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत कर पी0एल0ए0 में रखी गयी थी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष जिन उपकरणों आदि का क्रय किया जाना है, के लिए नियमानुसार क्रय-प्रक्रिया की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही वित्त विभाग की सहमति से पी0एल0ए0 से आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या-वित्त ई0-3-445/दस-18, दिनांक 20 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
नर्वेद सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या-40/2018/61(1)/पॉच-6-2018, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
(5) अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत)/निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) प्राचार्य /रजिस्ट्रार, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, लखनऊ ।
(8) वित्त् नियंत्रक, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
(10) कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
(11) प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

आज्ञा से,
हरनाम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।